सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-6629/MP/139/2025-RU-I

दिनांक: 18.05.2026

प्रमुख सचिव,
जनस्वास्थ्य एंव चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, छठीं मंजिल, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
ई-मेल: pshealth@mp.gov.in

प्रमुख सचिव,
आयुष विभाग, मध्य प्रदेश,
संचालनालय आयुष विभाग,
भू-तल, " घ " विंग, सतपुडा भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462001
ई-मेल: psayush@mp.gov.in

रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद,
तीसरी मंजिल, गोमंतिका परिसर,
जवाहर चौक, भोपाल- 462003,
मध्य प्रदेश
ई-मेल: registrar.nursing@mp.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के शैक्षिणिक सत्र 2022-23 के 40 नर्सिंग के विद्यार्थियों की जबलपुर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी परीक्षा सम्पन्न नहीं करवाने के सम्बन्ध में श्री अंकित बरडे एवं अन्य विद्यार्थी, छात्र स्वर्गीय के एल पांडेय स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्राम - चाटली (सेंघवा), जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश - 451669 (+91-7489922122/23) का अभ्यावेदन दिनांक 12/12/2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 21.04.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री अंकित बरडे एवं अन्य विद्यार्थी,
स्वर्गीय के. एल. पांडे स्कूल ऑफ नर्सिंग,
ग्राम-चाटली (सेंधवा), जिला-बड़वानी,
मध्यप्रदेश-451669

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

अनुसंधान एकक–I / Research Unit–I
पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-6629/MP/139/2025-RU-I

अनुसूचित जनजाति के 40 नर्सिंग के विद्यार्थियों की जबलपुर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी परीक्षा सम्पन्न नहीं करवाने के सम्बन्ध में श्री अंकित बरडे एवं अन्य विद्यार्थी, छात्र स्वर्गीय के एल पांडेय स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्राम - चाटली (सेंघवा), जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश का अभ्यावेदन दिनांक 12/12/2025 पर दिनांक 21.04.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि : दिनांक: 21.04.2026

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण: आयोग को श्री अंकित बरडे एवं 40 अन्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक – 12/12/2025 के अनुसार स्व. के. एल. पांडेय स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्राम–चाटली (सेंधवा), जिला–बड़वानी (म.प्र.) में शैक्षणिक सत्र 2022–23 के दौरान जी.एन.एम. नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए, मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद, भोपाल द्वारा अप्रैल 2025 में समय-सारणी जारी की गई थी, परंतु दिनांक 25.04.2025 को परिषद द्वारा पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया कि संस्था का क्लिनिकल प्रशिक्षण शुल्क बकाया है, जिसके कारण विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। संस्था द्वारा संबंधित शुल्क एवं दस्तावेज परिषद को प्रस्तुत किए गए तथा जिला कलेक्टर, बड़वानी द्वारा गठित जांच समिति एवं नर्सिंग काउंसिल द्वारा संस्था को जांच के पश्चात दोषमुक्त प्रमाण पत्र/ बेदाग रिकॉर्ड प्रदान किया गया।

इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक 17042/2025 दायर की गई, जिसमें दिनांक 21.08.2025 को आदेश पारित कर 40 विद्यार्थियों की विशेष परीक्षा 45–50 दिवस के भीतर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। हालांकि, विशेष परीक्षा हेतु समय-सारणी जारी होने के बावजूद विभिन्न प्रशासनिक कारणों से परीक्षा बार-बार स्थगित की गई, जिससे 40 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हुआ है।

अभ्यावेदन पर आयोग द्वारा दिनांक 12.12.2025 को प्रमुख सचिव, जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन तथा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद को नोटिस जारी किया गया था।

जिसके क्रम में आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 21/1/2026 द्वारा प्रकरण आयुष विभाग से सम्बन्धित नहीं होने के संदर्भ में अवगत कराया। मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद से कोई भी जवाब आयोग को प्राप्त नहीं होने तथा 40 विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सिटिंग आहूत की गई।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुनवाई तिथि को श्री मुकेश सिंह, रजिस्ट्रार, एमपी नर्स पंजीकरण परिषद तथा याचिकाकर्ता उपस्थित हुये। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1080/2022 में पारित आदेश अनुसार समस्त नर्सिंग संस्थाओं की सीबीआई जांच की गई है, उक्त जांच में स्व. के. एल. पाण्डे स्कूल ओफ नर्सिंग बडवानी सूटेबल श्रेणी में है। न्यायालय द्वारा प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1080/2022 में पारित आदेश अनुसार प्रथम जांच में सूटेबल पाये गये नर्सिंग संस्थाओं की पुनः सीबीआई जांच की गई थी। जिसमें भी उक्त कॉलेज सूटेबल/पात्र श्रेणी में पाया गया। उक्त कॉलेज को वर्ष 2022-23 में 40 बी.एस.सी, 40 जी.एन.एम की मान्यता दी गई थी। जिसमें उक्त संस्था द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी से अनुमति प्रमाण पत्र क्रमांक 1246 बडवानी दिनांक 17/08/2023 भी आवेदन के साथ जमा किया गया है। 17/08/2023 भी आवेदन के साथ जमा किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 2045/2025 में दिनांक 17/04/2025 में पारित आदेश अनुसार 08 नर्सिंग संस्थाओं के द्वारा रोगी कल्याण समिति में जमा की गई क्लीनिकल प्रशिक्षण शुल्क के सत्यापन के पश्चात ही परीक्षा में बैठाने का आदेश जारी किया गया था। जिसके तारतम्य में कार्यालय मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा जारी आम सूचना क्रमांक 5804 दिनांक 25/04/2025 मे प्रकाशित की गई थी। जिसके परिपालन में संस्था द्वारा दिनांक 27/04/2025 को पत्र सहित दस्तावेज जमा किये गये जिसके परिक्षण के पश्चात यह पाया गया की संस्था द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न नहीं किये गए थे। जिस हेतु दिनांक 28/04/2025 को संशोधित आम सूचना क्रमांक 5977 कौंसिल वेबसाईट पर जारी की गई. चूंकि कौंसिल द्वारा करायी जा रही वर्ष 2022-23 की जीएनएम परीक्षा दिनांक 29 अप्रैल 2025 से शुरू होनी थी व उक्त हेतु प्रवेश पत्र व बैठक व्यवस्था परीक्षा के एक दिन के पूर्व तक की जानी होती है इसलिये दिनांक 29 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली परीक्षा में दी गई समयावधि में कॉलेज द्वारा क्लीनिकल प्रशिक्षण से संबंधी संपूर्ण दस्तावेज जमा न करने के कारण सम्मिलित नही कराया गया।

कॉलेज द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2025 को ईमेल के माध्यम से पत्र क्रमांक 110 भेजा गया जिसमें उसके द्वारा रोगी कल्याण समिति को जमा किये गये शुल्क की रसीद भी लगा कर आगामी परीक्षा में सम्मिलित करने का निवेदन किया गया है। चूंकि एक दिवस पूर्व परीक्षा शुरू हो चुकी थी व एक प्रश्न पत्र भी पूर्ण हो चुका था इसलिये उक्त कॉलेज को परीक्षा में सम्मिलित न करते हुये न्यायालीन आदेश का इंतजार किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त कॉलेज द्वारा वर्तमान में प्राप्त सीटें के अनुसार क्लीनिकल प्रशिक्षण शुल्क जमा किया जा चुका है एवं सत्यापित क्लीनिकल ट्रेनिंग रजिस्टर भी जमा करा दिया गया है। संस्था द्वारा क्लीनिकल प्रशिक्षण से संबधित समस्त दस्तावेज कौंसिल में जमा करा दिये गये है। अतः मान्यता नियम 2018 में वर्णित प्रावधार्ना (बिंदु १२ अनुसार) अनुसार अन्य कोई वैधानिक कार्यवाही लंबित नहीं है। पश्चातवर्ती रूप से संस्था द्वारा जमा करवाये गये दस्तावेज सत्यापित भी हो चुके हैं। वर्तमान में मान्यता नियम, 2018 के अनुसार कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही लंबित नहीं है तथा आगामी परीक्षा संबंधी कार्यवाही माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित की जाएगी।

दिनांक 21.04.2026 को सुनवाई में माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से पूछा कि इन बच्चों की परीक्षा कब करा रहे हैं क्योंकि परीक्षा न होने के कारण इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मे सुना जा रहा है अतः कोई भी कार्रवाई न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही की जा सकती है। अनुसूचित जनजाति समाज के छात्रों को परीक्षा देने हेतु छूट प्रदान करने हेतु आयोग के संदर्भ के साथ प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि न्यायालय से छूट मांगेगें किंतु देखा गया है कि

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

एमपी नर्स पंजीकरण परिषद द्वारा माननीय न्यायालय से किए गये अनुरोध में आयोग की अनुशंसा का कोई उल्लेख नहीं है।

आयोग में 22.01.2026 को प्रार्थी एवं प्राधिकरण के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुसंशाएं माननीय आयोग द्वारा की गईं:

1. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) में दिनांक 12 फरवरी, 2026 को निर्धारित सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, न्यायालयीन आदेश के अनुपालन में मध्यप्रदेश नर्सेस पंजीकरण परिषद प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए अनुसूचित जनजाति के पीड़ित छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशील रहे।

2. आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत, निर्धारित मानदंडों/नियमों के अनुसार तत्काल पुनः परीक्षा (Re-exam) आयोजित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ पूर्ण न्याय हो तथा उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो।

4. अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास, शैक्षिक उन्नति एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संवेदनशील एवं सकारात्मक दृष्टिकोण मध्यप्रदेश नर्सेस पंजीकरण परिषद द्वारा अपनाया जाए।

आयोग में 21.04.2026 को प्रार्थी एवं प्राधिकरण के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुसंशाएं माननीय आयोग द्वारा की गईं:

1. आयोग द्वारा दिनांक 21.01.2026 की सुनवाई मेंआयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर मध्यप्रदेश नर्सेस पंजीकरण परिषदपिछले द्वारा अब तक की गयी कार्रवाई और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र पर रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत की जाए। इसकी रिपोर्ट आयोग को 07 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाए ।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल .सं . NCST/DEV-6629/MP/139/2025-RU-I

दिनांक: 21.04.2026

विषय :अनुसूचित जनजाति के शैक्षिणिक सत्र 2022-23 के 40 नर्सिंग के विद्यार्थियों की जबलपुर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी परीक्षा सम्पन्न नहीं करवाने के सम्बन्ध में श्री अंकित बरडे एवं अन्य विद्यार्थी, छात्र स्वर्गीय के एल पांडेय स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्राम - चाटली (सेंघवा), जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश - 451669 (+91-7489922122/23) का अभ्यावेदन दिनांक 12/12/2025 का अभ्यावेदन।

क्र .सं .	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आरदूबे .के .	निदेशक		
4.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
5.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

प्रमुख सचिव, जनस्वास्थ्य एंव चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र .सं .	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				

प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मध्य प्रदेश, संचालनालय आयुष विभाग, भोपाल , मध्यप्रदेश

क्र .सं .	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
.1				
.2				
.3				

रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद, जवाहर चौक, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र .सं .	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
.1	मुकेश सिंह	रजिस्ट्रार. MPNRC	8269549393	[signature] 21.04.26
.2				
.3				

आवेदक/ आवेदिका

क्र .सं .	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
.3				